प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 24.10.2026**

थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लोगों के साथ ठगी करने वाला 01 अन्तरजनपदीय अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्त के कब्जे से जाली नियुक्त पत्र, नोटिस, आदेश, लिफाफे, शैक्षिक दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 01 लैपटॉप, रसीद, फॉर्म, 01 मोबाइल, नेम प्लेट व मोहर सेट बरामद हुआ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों से नौकरी के नाम पर पैसे लेकर धोखाधड़ी करने वाले 01 अभियुक्त अभिषेक शर्मा पुत्र संजय शर्मा उर्फ सूरज शर्मा उम्र करीब 24 वर्ष निवासी 315 ग्राम इन्द्रानगर पोस्ट दरेरी तहसील निघासन, थाना पढुआ जनपद लखीमपुर खीरी, हाल पता किराये का मकान अंकित सचान, टकटौली रोड नई बस्ती कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को अभियुक्त के हाल निवास टकटौली रोड, नई बस्ती, थाना अकबरपुर कानपुर देहात से दिनाँक 23.10.2026 को गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना अकबरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 425/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/352/351(3) बीएनएस 2023 में विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता-

अभिषेक शर्मा पुत्र संजय शर्मा उर्फ सूरज शर्मा उम्र करीब 24 वर्ष निवासी 315 ग्राम इन्द्रानगर पोस्ट दरेरी तहसील निघासन, थाना पढुआ जनपद लखीमपुर खीरी, हाल पता किराये का मकान अंकित सचान, टकटौली रोड नई बस्ती कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त अभिषेक शर्मा ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने अपना एक फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया था, जिसमें उसने अपना पता मकान संख्या 88, मोहल्ला लक्ष्मी देवी कॉलोनी, लखीमपुर खीरी अंकित कराया था, जबकि उसका वास्तविक पता मकान संख्या 315, ग्राम इन्द्रानगर, पोस्ट दरेरी, तहसील निघासन, थाना पढुआ, जनपद लखीमपुर खीरी है। अभियुक्त के अनुसार, उसने AI की सहायता से आधार कार्ड में संशोधन कर फर्जी पता अंकित कराया था। वह स्वयं को उत्तर प्रदेश सचिवालय में डिप्टी डायरेक्टर बताता था। उसने बताया कि वह वरुण उर्फ नमपुरी उर्फ उमेश वर्मा पुत्र अज्ञात, निवासी मोहल्ला काशीनगर, जनपद लखीमपुर खीरी, हाल पता एवं स्थायी पता क्रमशः मोहल्ला काशीनगर, लखीमपुर खीरी तथा ग्राम सरखनपुर, थाना खीरी, जनपद लखीमपुर खीरी, एवं देवनारायण मिश्रा पुत्र अज्ञात, निवासी पावर हाउस के पास, स्टेट बैंक के पीछे, सराय निघासन, थाना निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के साथ मिलकर फर्जी आदेश, नियुक्ति पत्र एवं नोटिस तैयार करता था। अभियुक्त के अनुसार, उक्त फर्जी दस्तावेजों पर लगाने के लिए सभी मोहरें इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने तैयार कराकर उसे दी थीं। वह प्रत्येक व्यक्ति से नौकरी दिलाने के नाम पर चार लाख रुपये लेता था। लोगों से रुपये एकत्र करने के बाद वरुण कुमार को धनराशि देने के संबंध में संकेत के रूप में वह देवनारायण मिश्रा के बैंक खाते में 500 रुपये या उससे अधिक की राशि का ऑनलाइन लेन-देन करता था। खाते में उक्त धनराशि पहुँचने पर दोनों को संकेत मिल जाता था कि उसके पास दस्तावेज एवं रुपये तैयार हैं। इसके बाद वरुण कुमार एवं देवनारायण मिश्रा रुपये और

दस्तावेज लेने के लिए लखनऊ से आते थे तथा उन्हें लेकर चले जाते थे। अभियुक्त ने बताया कि वह AI की सहायता से नोटिस, आदेश एवं नियुक्ति पत्र तैयार करता था तथा उन्हें अलग-अलग फोटोकॉपी की दुकानों से प्रिंट करवाकर लोगों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराता था। कुछ दस्तावेजों पर उसने स्वयं फर्जी हस्ताक्षर किए थे तथा मोहर भी लगाई थी। अभियुक्त के अनुसार, उसके हिस्से में प्राप्त धनराशि खर्च हो चुकी है। उसने यह भी बताया कि कुलदीप सचान कुछ लोगों को लेकर उसके पास आया था और वह आधी धनराशि अपने साथ ले गया था। वाहन संख्या UP32RT1651 के संबंध में अभियुक्त ने बताया कि उक्त वाहन उसका नहीं था, बल्कि किराये पर लिया गया था, जिसे संबंधित व्यक्ति वापस ले गया है। अभियुक्त ने बताया कि वह लगभग दो वर्षों से इस प्रकार का कार्य कर रहा था तथा पिछले करीब पाँच महीनों से टकटौली रोड, नई बस्ती स्थित अंकित सचान के मकान में किराये पर रह रहा था। अभियुक्त के अनुसार, उसके पास से पुलिस द्वारा फर्जी आदेश, नोटिस, ज्वॉइनिंग लेटर एवं अन्य दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं तथा उसके पास अब कोई अन्य फर्जी दस्तावेज शेष नहीं है।

अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

कुल बरामदगी-

1. 18 जाली नियुक्ति पत्र

2. 18 जाली आदेश

3. 12 जाली नोटिस

4. 33 लिफाफा पीले रंग के

5. 01 प्रमाण पत्र सह अंकपत्र कक्षा इण्टरमीडिएट सन् 2021

6. 01 प्रमाण पत्र सह अंकपत्र कक्षा हाईस्कूल सन् 2019

7. 01 अंकपत्र बीबीए पाँचवा सेमेस्टर सन् 2023-24

8. 01 अंकपत्र सन् 2021-22 सेमेस्टर प्रथम बीबीए

9. 01 अंकपत्र सन् 2022-23 सेमेस्टर तृतीय बीबीए

10. 01 आधार कार्ड

11. 01 पैन कार्ड

12. 09 प्रेषित कर्ता व प्राप्त कर्ता रसीद

13. 12 भरे हुए फार्म सेट

14. 01 लैपटॉप एसर कम्पनी

15. 01 मोबाइल

16. 01 नेम प्लेट

17. 04 मोहर सेट

गिरफ्तार करने वाली थाना अकबरपुर पुलिस टीम-

1. चौकी प्रभारी जैनपुर उ0नि0 श्री नर सिंह

2. हे0कां0 317 महेन्द्र सिंह

3. कां0 1306 अंकित शर्मा